

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्यप्रदेश**

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-2/2017/

भोपाल, दिनांक / /2017

//आदेश//

राचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश क्रमांक/1580/3618/2016/17/मेडि-1 दिनांक 28.06.2017 द्वारा डॉ. मनमोहन माहुलिया, कोट विज्ञानी, स्थानीय कार्यालय की अपील को मान्य करते हुये सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, के आदेश क्रमांक/854/3618/2015/17/मेडि-1 दिनांक 15.03.2017 को निरस्त किया जाकर डॉ. माहुलिया की अपील मान्य कर उन्हें दी गई तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति निरस्त की गई है ।

अतः शासन आदेश दिनांक 28.06.2017 के परिप्रेक्ष्य में डॉ. माहुलिया की नियमानुसार वेतन वृद्धियां निम्नानुसार जारी की जाती हैं ।

पूर्व में प्राप्त हो रहा वेतनमान पी.बी.-3 (15600-39100)+7600				रोकी गई वेतन वृद्धि जारी की जाने वाली वेतन वृद्धियां एवं वेतन बैंड पी.बी.-3 (15600-39100)+7600			
01.07.13	34190	7600	41790	01.07.14	35450	7600	43050
				01.07.15	36750	7600	44350
				01.07.16	38090	7600	45690

आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2017

संचालक (प्रशासन)/अपर संचालक(वित्त) द्वारा अनुमोदित ।

संयुक्त संचालक (कार्या.स्था.)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,  
भोपाल

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल-2/2017/ 2033

भोपाल, दिनांक 23/9/2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. अपर संचालक, (वित्त)-स्थानीय कार्यालय ।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त जारी वेतन वृद्धि आदेश अनुसार आपके अधीन पदस्थ अवधि का नियमानुसार वेतन एवं ऐरियर राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें ।
4. कोषालय अधिकारी, जबलपुर ।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त जारी वेतन वृद्धि आदेश अनुसार आपके अधीन पदस्थ अवधि का नियमानुसार वेतन एवं ऐरियर राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय ।
7. डॉ. मनमोहन माहुलिया, कीट विज्ञानी, स्थानीय कार्यालय ।
8. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अप्रेषित ।
9. सेल-2, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
10. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ती ।

23/9/17  
संयुक्त संचालक (कार्या.स्था.)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,  
भोपाल